

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड (म०प्र०)


// विविध - आदेश //

क्रमांक :- 19 / लेखा / 2022

भिण्ड, दिनांक:- 14 / 02 / 2022

कार्यालयीन विविध आदेश क्रमांक-06 दिनांक-10.01.2022 के द्वारा कोविड-19 महामारी के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के अत्यधिक तीव्रता से फैलने संबंधी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये इस स्थापना में रिक्त चतुर्थ श्रेणी प्रवर्ग में आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी कर्मचारीगण (भृत्य/चौकीदार/जलवाहक, स्वीपर एवं माली) की सीधी भर्ती हेतु दिनांक-23.01.2022 को आयोजित होने वाले साक्षात्कार को अन्य आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया था।

वर्तमान में जिला भिण्ड में कोविड-19 संक्रमण का प्रभाव पूर्व की अपेक्षा कम होने व माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-सी/463 दिनांक-11.02.2022 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक-14.02.2022 से लंबित प्रकरणों की भौतिक सुनवाई के निर्देश प्राप्त होने के कारण, इस स्थापना में रिक्त आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी कर्मचारीगण (भृत्य/चौकीदार/जलवाहक, स्वीपर एवं माली) की सीधी भर्ती के लिये साक्षात्कार आयोजन हेतु नवीन तिथि दिनांक-06.03.2022 नियत की जाती है।


अक्षय कुमार द्विवेदी
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्रमांक :- 258 / लेखा / 2022

भिण्ड, दिनांक-14 / 02 / 2022

प्रतिलिपि जादेशानुसार:-

- (1) निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय, सिविल जिला भिण्ड, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वाल्दियर (म.प्र.) की ओर माननीय पोर्टफोलियो महोदय के समक्ष प्रस्तुति हेतु सादर प्रेषित।
- (2) माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- (3) प्रिंसोपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) महोदय, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर संबंधित सर्विस प्रोवाइडर को दिनांक-06.03.22 को आयोजित होने वाले साक्षात्कार के संबंध में संबंधित अभ्यर्थीगण को अविलंब अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।
- (4) सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) प्रभारी अधिकारी, नज्दत अनुभाग भिण्ड की ओर उक्त आदेश की प्रति जिला

न्यायालय भवन के सूचना पटल पर चस्पा कराकर पालन प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु संबंधित को निर्देशित किये जाने हेतु प्रेषित।

- (6) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय भिण्ड की ओर उक्त आदेश की प्रति संबंधित की ओर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय भिण्ड की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- (7) कलेक्टर जिला-भिण्ड की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि साक्षात्कार आयोजन की नदीन तिथि के संबंध में सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने हेतु जन सम्पर्क अधिकारी भिण्ड को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- (8) लेखापाल कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म०प्र०)